न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,चूरु

पीठासीन अधिकारी राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या: 2018/00059

दायर दिनांक: 28.06.2018

रामेश्वरलाल पुत्र श्री दुरजाराम जाति जाट निवासी बिल्यु बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

-अपीलांट-

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू
2. जगदीशप्रसाद पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी बिल्यु बास रामपुरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू

-रेस्पोन्डेन्ट्स-

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 18.06.2018 न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर अंतर्गत धारा 225 आर.टी. एक्ट

उपस्थित:- 1. श्री बजरंगलाल शर्मा, एडवोकेट वास्ते अपीलांट।

2. श्री सुरेन्द्र जाखड़ एडवोकेट वास्ते रेस्पोडेंट सं. 02

निर्णय

दिनांक: 11.07.2019

यह अपील श्रीमान जिला कलक्टर न्यायालय चूरू से वास्ते सुनवाई स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर ऑनलाइन दर्ज की गई। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-

1. अपीलान्ट व उसके अन्य बहिन-भाईयों के पिता स्वर्गीय दुरजाराम की खातेदारी में अंकित खेत ख.न. 45/378 रकबा 13 बीघा 11 विस्वा बिल्यु बास रामपुरा तहसील सरदारशहर में अवस्थित है इस कृषि भूमि के अलावा अन्य कृषि भूमिया भी अपीलान्ट के पिता दुरजाराम की खातेदारी में अंकित चली आ रही है दुरजाराम व उसकी धर्म पत्नी का देहान्त हो चुका है दुरजाराम की खातेदारी की समस्त कृषि भूमिया उसके पुत्र पुत्रियों द्वारा अपने कब्जा काश्त व उपभोग में ली जा रही है।
2. रेस्पोडेन्ट सं.2 व अन्य ग्रामवासियो ने तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष एक प्रार्थनापत्र पेश कर अपीलान्ट द्वारा खेत ख.नं. 45/378 रोही बिल्यु बास रामपुरा में बिना किसी आधार व औचित्य के सदामत का चालू रास्ता उक्त खेत की उतरी सीव के सहारे आगे पश्चिमी सीव के सहारे हो कर सदामत से चला आ रहा है, के अलावा नया रास्ता कायम करवाने के लिये तहसीलदार, सरदारशहर के समक्ष पेश किया। तहसीलदार, सरदारशहर द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट लिये

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

जाने के उपरान्त दिनांक 21.05.2018 को अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी किया जिस नोटिस का विधिवत जबाब अपीलान्ट द्वारा सभी समुचित तथ्य अंकित करते हुए तहसीलदार, सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दिनांक 31.05.2018 को अपीलान्ट का जबाब पत्रावली पर पेश हो जाने के बाद पत्रावली को राजस्व लोक अदालत बिल्यु बास रामपुरा कैम्प में दिनांक 14.06.18 के लिए रखा। पत्रावली को दिनांक 18.06.18 की पेशी में नियत रखते हुए दिनांक 18.06.18 को निर्णय व आदेश जेर अपील पारित कर दिया।

3. तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दिनांक 31.05.18 की आदेशिका द्वारा पत्रावली के रिकोर्ड पर लिया गया। जवाब नोटिस में अपीलांट द्वारा सही तथ्यों एवं रास्ता बंद न करने का कथन किया। अपीलांट ने यह अंकित किया है कि रेस्पो0 जबरदस्ती नया रास्ता कायम करके खेत का विभाजन करवाना चाहते हैं। इसके समर्थन दस्तावेजात भी प्रस्तुत किये गये। दिनांक 31.05.18 व उसके बाद की सभी आदेशिकाओ के अवलोकन से यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अपीलान्ट को अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया तथा जल्दबाजी में निर्णय पारित किया गया।

4. तहसीलदार, सरदारशहर द्वारा दिनांक 21.5.18 को स्वयं भी मौका निरक्षिण करना अपने निर्णय आदेश जैर अपील में अंकित किया है जिसकी फर्द मौका दिनांक 21.5.18 को तैयार की गई है तथा उक्त फर्द मौका निरक्षिण के साथ एक मौका नक्शा अनैक्चर बी भी तैयार किया गया है जिससे ए,बी,सी,डी,ई,एफ,जी,एच तक के चिन्ह अंकित किये गये तथा अपनी फर्द मौका में एक से 5 संख्या तक के द्वारा उक्त सभी बिन्दुओ की बाबत इबारत अंकित की गई है। फर्द मौका निरीक्षण दिनांक 21.5.18 व उसके संलग्न मौका नक्शा अनैक्चर बी पर मात्र पटवारी हल्का बिल्युबास रामपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार सरदारशहर के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नही है। तहसीलदार सरदारशहर ने अनैक्चर बी को निर्णय व आदेश जैर अपील में अपने निर्णय के भाग के रूप में अंकित किया है।

5. तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अपने मौका नक्शा अनैक्चर बी में रेस्पोडेन्ट जगदीशप्रसाद के खेत ख. नं. 370/45 की पूर्वी सीमा के साथ साथ आगे अपीलान्ट के खेत ख.नं.45/378 की पूर्वी सीमा के साथ साथ बिल्यू बास रामपुरा से ग्राम मेहरी जाने वाले कटानी रास्ते का अंकन किया है जो अनैक्चर बी में ए से बी के मध्य दर्शित किया गया है। अनैक्चर बी में डी. से जी तक अपीलान्ट के खेत खसरा नं. 45/378 की उतरी सीमा के साथ साथ तथा आगे जी से एच तक अपीलान्ट के उक्त खेत की पश्चिमी सीमा के साथ साथ आगे खेत ख.नं. 794/52 की पश्चिमी सीमा के साथ साथ रेस्पोडेन्ट सं. 2 व अन्य ग्रामवासियों के आवागमन हेतु रास्ता मौके पर होने का तथ्य स्वयं अंकित किया है तथा यह भी अंकित किया है कि यह रास्त पिछले 12 माह से

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

अधिक समय से शांन्तिपूर्वक चले आना तथा अनेक्चर बी में अंकित सी से एफ तक के तथाकथित बंद मार्ग का कोई विवाद मौजूद नही होना अपनी फर्द मौका निरीक्षण व अनैक्चर बी मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है। जिसके अवलोकन से यह तथ्य एकदम स्पष्ट है कि ग्राम बिल्यूबास रामपुरा से ग्राम मेहरी को जाने वाले कटानी रास्ते से फंट कर आगे के खेतो के खातेदारान के आवागमन हेतु अपीलान्ट की उतरी सींव के साथ साथ चल कर आगे पश्चिम सींव के साथ साथ दक्षिण की तरफ आवागमन हेतु पर्याप्त चौडाई का सुगम व सुविधाजनक रास्ता मौजूद है मगर तहसीदार सरदारशहर ने मात्र राजनैतिक सह पर बिना किसी प्रकार की विधिक प्रक्रिया अपनाये अपने निर्णय व आदेश जैर अपील के द्वारा एक नया रास्ता अपीलान्ट के खेत में से कायम कर देने का आदेश पारित कर दिया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है।

6. यह तथ्य भी राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से एकदम स्पष्ट है कि पुराने समय में ख.नं. 377/45 व 45/378 एक ही खेत रहे हैं जो तथ्य इस बात से स्पष्ट प्रमाणित है कि ख.नं. 377/45 व 45/378 एक ही खेत के जूज है। रेस्पो0 व अपीलांट के पिता सगे भाई थे। अगर जगदीश व अन्य ग्रामवासियों की शिकायत को थोड़ी देर के लिये सही मानले तो उक्त तथा कथित रास्ता पहले जगदीश के खेत के बीचों बीच आना चाहिये तथा उसके बाद अपीलांट के खेत में से निकलना चाहिये मगर चूंकि ऐसा कोई रास्ता कभी वजूद में रहा ही नहीं है तो उसको बंद कर दिये जाने तथा खुलवाये जाने हेतु अपीलाधीन आदेश व निर्णय पारित कर दिये जाने का कोई भी विधिक आधार अथवा औचित्य नहीं है। तहसीलदार सरदारशहर द्वारा अपने प्रकरण की आदेशिका में जगदीशप्रसाद के पिता का नाम मुकनाराम अंकित किया है तथा अपने निर्णय दिनांक 18.06.18 में जगदीशप्रसाद के पिता का नाम कानाराम अंकित किया है।

7. ग्राम बिल्यू बास रामपुरा जागीर बाय तहसील सरदारशहर का संवत् 2001 में पैमूदा नक्शा तैयार किया हुआ रहा है जिसके आलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ख.नं. 45 पहले एक ही सालम खेत है जिसके बाद में दो टूकड़े हुए है जिनमें उत्तर का हिस्सा इस वक्त रेस्पो0 जगदीश प्रसाद की कब्जा काश्त में व दक्षिण का आधा हिस्सा अपीलांट व उसके भाई बहिनों की कब्जा काश्त में चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में ख.नं. 45 के दक्षिणी आधे हिस्से के बीच में से किसी सदामद के रास्ते का वजूद रहा होना किसी भी प्रकार से विश्वसनीय नहीं ठहरता है। क्योंकि गांव बिल्यू बास रामपुरा की आबादी ख.नं. 45 साबिका के उत्तर में है। जिसके हाल ख.नं. 377/45 व 45/378 बने है में से ऐसे किसी भी सदामद के रास्ते का वजूद रहा होना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

8. अपीलांट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र में अपने सभी भाई-बहिनों के नाम अंकित किये हैं जो मौजूदा समय में स्व. दुरजाराम के वारिसान मौजूद है। मगर तहसीलदार सरदारशहर ने अपीलांट के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

भाई-बहिनों को पक्षकार संयोजित किये बगैर ही निर्णय व आदेश जेर अपील पारित कर दिया है जो हर सूरत में काबिले अपास्त है।

9. यह कि पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 20.05.2018 को तैयार किया गया फर्द मौका व तहसीलदार सरदारशहर द्वारा दिनांक 21.05.18 को तैयार किया गया फर्द मौका में अपीलांट द्वारा कुल दो रास्त अवरूद्ध किये जाने का कथन अंकित किया है जब कि तहसीलदार द्वारा तैयार एनेक्श्चर बी में सी से एफ के मध्य अंकित तथाकथित रास्ते बाबत् कोई विवाद नहीं होना तहसीलदार सरदाराहर ने अपने फर्द मौका व मौका नक्शा में स्पष्ट अंकित किया है तथा अपने निर्णय व आदेश जेर अपील में भी सी से एफ के मध्य तथाकथित रास्ते के बाबत् कोई आदेश की आवश्यकता नहीं रही होना स्पष्ट रूप से अंकित किया है तथा एनेक्श्चर बी में अंकित सी से ई का तथाकथित रास्ता खुलवाने का आदेश दिया है जो कि अपने आप में ही भ्रामक व अविश्वसनी है।

10. रेस्पो0 सं. 02 व अन्य लोगों द्वारा दिनांक 25.05.2018 को अपीलांट के खेत में से जबरन रास्ता कायम करने का प्रयास किया जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अपीलांट द्वारा रेस्पो0 सं. 02 व अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस थाना भानीपुरा में दर्ज करवाई गई है।

11. अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जा कर निर्णय व आदेश जेर अपील तहसीलदार सरदारशहर दिनांक 18.06.2018 अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर की पत्रावली सं. 04/2018 तलब की गई। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि तहसीलदार ने दिनांक 21.05.2018 को मौका निरीक्षण किया है। जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई है, उसमें प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। तहसीलदार के निर्णय दिनांक 18.06.18 में जगदीशप्रसाद के पिता का नाम कानाराम अंकित किया गया है जबकि वास्तविक नाम मुकनाराम है। यह निर्णय बिना विवेक के एवं बिना रिपोर्ट व बिना कानूनी तथ्यों के अवलोकन के पारित किया गया है। नक्शा एनेक्श्चर बी में अंकित C,G,H का रास्ता वर्तमान में चालू है। B-G की सीमा बाद में बनी है जो पूर्व में एक ही खेत था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में सुविधापूर्ण रास्ता देने का प्रावधान है। अपीलांट के भाई कृष्ण कुमार को मौका पर समझाईश की गई थी। मगर अपील में कृष्ण कुमार पक्षकार नहीं है, न ही इसके खिलाफ कोई आदेश है। एनेक्श्चर ए में अंतिम पंक्ति बाद में लिखकर जोड़ी गई प्रतीत होती है। रेस्पो0 जगदीशप्रसाद के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 447 में प्र.सू.रि.सं. 0077 दिनांक 26.05.2018 की अनुसंधान कर चार्जसीट सक्षम न्यायालय में पेश हो चुकी है। रेस्पो0, अपीलांट के खेत में से

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

जबरदस्ती नया रास्ता कायम कर अपीलांट के खेत को टुकड़ों में करना चाहता है। फर्द मौका निरीक्षण तहसीलदार दिनांक 21.05.2018 एवं पटवारी मौका रिपोर्ट में अंतर है। इस प्रकरण में रास्ता खोले जाने बाबत् प्रभावित पक्षकारों की सहमति नहीं ली गई है तथा ना ही साक्ष्य लिये गये है। अपीलांट रामेश्वरलाल ने अपने जवाब प्रार्थना-पत्र तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष दिनांक 31.05.2018 को पेश किया है। इसमें मांग की गई है कि दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से अपना पक्ष रखना चाहता है जिसका अपीलांट को कानूनी अधिकार है। इस प्रकरण में दस्तावेजी मौखिक साक्ष्य नहीं लिये जाकर मौका की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय दिनांक 18.06.2018 के द्वारा पारित किया गया है जो अपास्त योग्य है। अपील-अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पों0 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि यह प्रकरण अवरूद्ध रास्ते से संबंध है न की नया रास्ता कायम करने से। रेस्पो0 अपना सुविधाजनक रास्ता काश्तकारों का देखा जायेगा, ना की सिर्फ एक खातेदार का। अपीलांट अपने खेत को बचाने के लिए साइड से रास्ता नहीं निकाल सकता। कृष्ण कुमार अपीलांट का सगा भाई है। 794/52 कृष्ण कुमार का खेत है। फर्द मौका में रास्ता जबरदस्ती बंद करने का कथन किया है। किसी व्यक्ति के विरूद्ध पुलिस द्वारा चालान पेश होने से ही दोष साबित नहीं होता है। गूगल मैप में भी रास्ता दर्शाया हुआ है। धारा 251 रा.का.एक्ट मौका में रास्ता को किसी ने रोका है या नहीं रोका है, सिर्फ यही देखना है। तहसीलदार का निर्णय दिनांक 18.06.2018 मौका के तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करते हुए पारित किया गया है जो विधिनुसार सही है। तहसीलदार ने नया रास्ता कायम नहीं किया है बल्कि अवरूद्ध रास्ते को खुलवाने का आदेश दिया है। रेस्पो0 अधिवक्ता ने बहस व तर्को के संबंध में RRD 2001 page 431, RLW 2006(1) page 451, RRD 2001 Page 233, RRD 2001 page 156 की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अपील-अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस व तर्को पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर की पत्रावली सं. 04/2018 जगदीशप्रसाद बनाम् रामेश्वरलाल का भलीभांति अवलोकन किया गया। यह सही है कि तहसीलदार सरदारशहर ने अपने निर्णय दिनांक 18.06.2018 में अवरूद्ध रास्ते को खोले जाने का आदेश दिया है, न कि नया रास्ता कायम करने का आदेश दिया है। अप्रार्थी अपीलांट ने धारा 251 रा.का.अधिनियम के अंतर्गत जवाब दिनांक 31.05.2018 को तहसीलदार सरदारशहर के समक्ष प्रस्तुत किया है। भू.अ.नि. व पटवारी हल्का बिल्यू बास रामपुरा की मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.05.2018 में यह अंकित है कि रामेश्वरलाल द्वारा सदामद का रास्ता रोका गया है। रामेश्वरलाल द्वारा अपने खसरे की उत्तरी सीमा के पश्चिम कोने तक मार्ग को बढ़ा कर पश्चिमी कोने के सहारे-सहारे डाला गया है। मौका नक्शा एनेक्श्चर बी में अंकित ... से E तक के रास्ते पर पक्षकारों में काफी समय से कोई विवाद नहीं होना दोनों के पक्षों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

Scanned by CamScanner

काश्तकारों के मध्य रास्ते संबंधी सहमति जाहिर करता है। किन्तु अपीलांट रामेश्वारलाल ने बिना अन्य काश्तकारों की सहमति के मौके पर सदामद के रास्ते को बंद कर दिया और नया रास्ता आथुणी सींव के पास कायम कर दिया। C से F तक के रास्ते को खुलवाया जाना विशेष महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अपीलांट रामेश्वरलाल व अन्य खेत पड़ोसी काश्तकार C से E तक के रास्ते से शांतिपूर्वक आवागमन काफी समय से कर रहे थे। इस प्रकार अपीलांट रामेश्वार द्वारा किसी विद्यमान सदामद के रास्ते को बंद करके नया रास्ता चालू कर देना न्यायोचित नहीं है। RRD 2001 page 233 Harchand vs L.Rs. of Magharam & Ors में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि there is old 'catan' and pagdandi therefore, no disturbance can be caused by any party in the old pagdandi or old 'catan' – under the garb of section 251, fresh right of way cannot be given or allowed. section 251 provides a summary remedy to the holder of land. इस प्रकार यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपील-अपीलांट खारिज की जाती है और तहसीलदार सरदारशहर का निर्णय दिनांक 18.06.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की मूल पत्रावली निर्णय की प्रति के संलग्न कर भेजी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

अतिरिक्त जिला कलक्टर, चूरू

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं ... कार्यालय

Scanned by CamScanner